

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
डेरी विकास विभाग,  
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक: 24 मार्च, 2017:

विषय:- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि० एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उत्तराखण्ड में नामित गैर सरकारी प्रतिनिधियों को पदमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा-34(1)(ग) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा नामित निम्नलिखित गैर सरकारी प्रतिनिधियों को उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा-34(2) के अनुसार तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क. सं.	संस्था का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, टिहरी	श्री केन्द्र सिंह चौहान
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, देहरादून	श्री हिमांशु रमौला पुत्र श्री शंकर चन्द्र रमौला
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चमोली	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पिथौरागढ़	श्री विनोद कार्की पुत्र श्री हयात सिंह कार्की
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, चम्पावत	श्री योगेश खर्कवाल पुत्र श्री धनश्याम खर्कवाल
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, लालकुआं	श्री दया किशन बमेटा पुत्र श्री नरोत्तम बमेटा
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, अल्मोड़ा	श्री दिनेश चन्द्र सिंह डांगी पुत्र श्री जोधा सिंह डांगी
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री तारा दत्त शर्मा
9.	उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, हल्द्वानी (नैनीताल)	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मदन सिंह

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।